

2025/534

फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

बनाम बलीप्रसाद सरकार

किस्म मुकदमा-136 एल.आर.ए.

मु0न0- 107/2025

पीठासीन अधिकारी- डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
26.9.25	<p>प्रकरण जरिए तहसीलदार द्वारा इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी की भूमि आराजी खाता संख्या/खसरा संख्या 192, 193, 194वाके ग्राममें स्थित है जिसमें प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी मेंवर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम है। इसलिए उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि की जावे। तहसीलदार द्वारा पेश प्रकरण के अवलोकन तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का नामके स्थान पर सही नामवर्ज करने के आदेश तहसीलदार को दिए जाते है। तहसीलदार उपरोक्तानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें।</p> <p>निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा